

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, रावतगढ़।

पत्र संख्या- 1149 / ग्रा0अ0वि0 / टेके0पं0ी0-110 / वरि0सहा0-1 / 18-19 दिनांक 25/11/19

पंजीकरण संख्या- 421 श्रेणी- B मार्ग / 2019

-: पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल सहारनपुर के पत्र संख्या- 12018 दिनांक-24-01-2019 से प्राप्त मैसर्स एम0ए0 कान्ट्रक्शन (प्रोपराइटर श्री अजहर रफा पुत्र श्री मो0 यूनूस), निवासी 328 केवलपुरी, मुजफ्फरनगर के "B" श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्ती को सर्यापन / संस्वृति के आधार पर मैसर्स मैसर्स एम0ए0 कान्ट्रक्शन (प्रोपराइटर श्री अजहर रफा पुत्र श्री मो0 यूनूस), निवासी 328 केवलपुरी, मुजफ्फरनगर को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी B में टेकेंदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजारव मण्डल, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट धाम बांदा एवं झांसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुजफ्फरनगर के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गगनवार)
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्ता नुसार।

प्रातिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मुजफ्फरनगर।
- 2-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर।
- 3-समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड / पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4-मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

5-निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

6-मैसर्स एम0ए0 कान्ट्रक्शन (प्रोपराइटर श्री अजहर रफा पुत्र श्री मो0 यूनूस), निवासी 328 केवलपुरी, मुजफ्फरनगर (मो0न-9759392400)

(ईमेल-azhar.rafa05@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते / ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।

7-अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म / टेकेंदार के पंजीकरण की इन्स्टी/विमानीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता(प0अ0)



(रवीन्द्र सिंह गगनवार)
मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)